



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 281-पें0एवंआर0-28/पाकालि/23-10(2)-पें0एवंआर0/01(टीसी-1), दिनांक : 09 फरवरी, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 4/2018/18/1/2008-का-2/2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं और पदों पर दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 870-पें0एवंआर0-28/पाकालि/20-10(2)-पें0एवं आर0/01(टीसी0-1) दिनांक 24 अगस्त, 2020 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में दिव्यांगजन हेतु अंगीकृत किया गया है।

2. इसी क्रम में एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 17 जनवरी, 2023 को सम्पन्न 188वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं और पदों पर दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने के पश्चात उपरोक्त शासनादेश के माध्यम से तत्सम्बन्धी प्राविधान/दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपरोक्त शासनादेश में प्राविधानित तत्सम्बन्धी प्राविधान/दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 281-पें0एवंआर0-28/पाकालि/23 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

आनन्द

(आनन्द श्रीवास्तव)

अनु सचिव (पें0एवंआर0)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022

लखनऊ, दिनांक: 18 अप्रैल, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

"उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित)" द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर विकलांगों को राज्याधीन सेवाओं एवं पदों के रिक्तियों का 03 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया था।

2. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं 26.04.2016 में उल्लिखित प्राविधानों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 तथा पार्श्वीकित शासनादेशों के माध्यम से कतिपय दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः

1.	शासनादेश संख्या-18/1/2008(II)-का-2-2008 दिनांक 03.02.2008	विकलांगों हेतु आरक्षण की मात्रा, विकलांगों की परिभाषा, आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, आरक्षण गणना रोस्टर, आयु सीमा में छूट आदि का प्राविधान किया गया था।
2.	शासनादेश संख्या-18/1/2008/ का-2/2013, दिनांक 24.06.2013	
3.	शासनादेश संख्या-18/1/2008 /का-2/2014, दिनांक 17.04.2014	
4.	शासनादेश संख्या-5/2016/18/1/2008टी.सी. / का-2, दिनांक 17.06.2016	3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.04.2017 को प्रख्यापित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा

"उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2018" दिनांक 01.09.2018 को प्रख्यापित किया गया है, जिसके अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगता की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उनकी श्रेणी को 05 भागों में विभाजित कर पूर्व अनुमन्य आरक्षण को 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत कर दिया गया है।

4. निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-36035/02/2017-Estt(Res), दिनांक 15.01.2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5. भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा उसके अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित " उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2018" तथा भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15.01.2018 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देश के कारण कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्गत कार्यालय-जाप दिनांक 03.02.2008 एवं पार्श्वकित शासनादेशों में कतिपय प्राविधान वर्तमान में अप्रासंगिक हो गये हैं। अतः उक्त संदर्भित कार्यालय-जाप एवं पार्श्वकित शासनादेशों में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं और पदों पर दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए निम्नानुसार प्राविधान जा रहा है:-

1. दिव्यांगों हेतु आरक्षण की मात्रा

(1) समूह क, ख, ग और घ पदों पर सीधी भर्ती के मामले में 04 प्रतिशत रिक्तियाँ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियाँ खण्ड-क, ख, ग के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत रिक्तियाँ खण्ड-घ एवं ड. के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए, उन दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी अर्थात्:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि ;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास ;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता ;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता ;

(ड) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है;

2. दिव्यांगों हेतु आरक्षण से छूट

यदि कोई विभाग दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्राविधान से किसी प्रतिष्ठान को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए दिव्यांग कल्याण विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को संदर्भ प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किये जाने के बारे में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जाएगा। मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान करने विषयक आदेश निर्गत किये जाएंगे।

3. उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान

दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का तथा ऐसी सभी नौकरियों/पदों से, संबंधित शारीरिक अपेक्षाओं का पता लगा लिया है। उक्त अधिसूचनाओं में दर्शायी गयी समय-समय पर यथा संशोधित नौकरियाँ/पद, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को 04 प्रतिशत आरक्षण को प्रभाव में लाने के लिए प्रयोग में लायी जाएंगी। तथापि, यह ध्यान रहे कि:-

(क) किसी नौकरी/पद के लिए प्रयुक्त नामावली में सदृश्य कामकाज वाली अन्य तुलनीय नौकरियों/पदों के लिए प्रयुक्त नामावली भी शामिल होगी।

(ख) दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित नौकरियों/पदों की सूची निःशेष (Exhaustive)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नहीं है। संबंधित विभागों को दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा पहले से ही उपयुक्त पहचानी गयी नौकरियों/पदों के अतिरिक्त नौकरियों/पदों की पहचान करने का विवेकाधिकार होगा। तथापि, कोई भी विभाग/प्रतिष्ठान अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त पहचानी गयी किसी नौकरी/पद को आरक्षण के दायरे से अपवर्जित नहीं कर सकेगा।

(ग) यदि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचानी गयी कोई नौकरी/पद वेतनमान में अथवा अन्यथा बदलाव के कारण एक समूह अथवा ग्रेड में से किसी दूसरे समूह अथवा ग्रेड में तब्दील हो जाय तो भी वह नौकरी/पद उपयुक्त पहचाना गया बना रहेगा।

4. एक, दो अथवा तीन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण

यदि कोई पद दिव्यांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिन्हित किया गया हो तो उस पद में आरक्षण उस दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में चार प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण उस दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जायेगा जिसके लिए वह चिन्हित किया गया हो। इसी तरह किसी पद के दिव्यांगता की दो या तीन श्रेणियों के लिए चिन्हित किये गये होने की स्थिति में जहाँ तक सम्भव हो, आरक्षण दिव्यांगता की उन दोनों या तीनों श्रेणियों (जैसी स्थिति हो) के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि दिव्यांगता की चारों श्रेणियों के व्यक्तियों को यथा सम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले।

5. अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्त कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

6. अपनी ही योग्यता पर चयनित उम्मीदवारों का समायोजन

मानदण्डों में बिना किसी शिथिलीकरण के, अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गये दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किये जाएंगे। आरक्षित रिक्तियाँ, दिव्यांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएंगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे दिव्यांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगे, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जायेंगे।

7. दिव्यांगजन की परिभाषा:-

दिव्यांगजन की परिभाषा वही होगी, जो 30प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

धारा-2 खण्ड (ड.) से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

8. आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे निर्धारित प्रारूप- II-IV (जो लागू हो) पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रारूप-1 पर आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

9. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य संबंधित श्रेणी की दिव्यांगता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् स्थायी दिव्यांगता के ऐसे मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात् मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

10. नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर आरम्भिक नियुक्ति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

11. आरक्षण की गणना

समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी, यद्यपि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती, केवल उनके लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों पर ही की जायेगी। किसी अधिष्ठान में समूह 'क' के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन, अधिष्ठान के अंतर्गत उपयुक्त चिन्हित किये गये और उपयुक्त न चिन्हित किये गये दोनों तरह के समूह 'क' पदों में एक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रख कर की जायेगी। यही प्रक्रिया समूह 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों पर लागू होगी। चूंकि आरक्षण चिन्हित किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

पदों तक ही सीमित है और आरक्षित रिक्तियों की संख्या का आंकलन चिन्हित/अचिन्हित किये गये पदों में कुल रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः किसी चिन्हित किये गये पद पर आरक्षण द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या 04 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

12. आरक्षण लागू करना-रोस्टरों का रख-रखाव

(क) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान, संलग्नक-1 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों के लिए-100 बिन्दुओं वाले पृथक-पृथक रोस्टर बनाये जायेंगे।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र चार खण्डों में विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे:-

प्रथम खण्ड- बिन्दु संख्या-1 से 25

द्वितीय खण्ड- बिन्दु संख्या-26 से 50

तृतीय खण्ड- बिन्दु संख्या-51 से 75

चतुर्थ खण्ड- बिन्दु संख्या-76 से 100

(ग) रोस्टर के 1, 26, 51 और 76 संख्या के बिन्दु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों लिए आरक्षित चिन्हित किये जाएंगे जिनमें दिव्यांगता की चार श्रेणियों ('क', 'ख', 'ग' एवं 'घ/ड.') के लिए एक-एक बिन्दु होगा। नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्रमांक -1, 26, 51, तथा 76 पर पड़ने वाली रिक्तियाँ दिव्यांगों के सम्बन्धित श्रेणी के लिए चिन्हित हों, यद्यपि चयनित अभ्यर्थियों का रोस्टर रजिस्टर में स्थान निश्चित करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा।

(घ) इस बात पर विचार किए बिना कि कौन सी रिक्तियाँ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं, सम्पूर्ण रिक्तियों की सूचना/विवरण संगत रोस्टर में अंकित की जाएगी। यदि बिन्दु संख्या-1 पर आने वाला पद, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा नियुक्ति प्राधिकारी इसे दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है तो बिन्दु संख्या-2 से 25 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जाएगा और इसे तदनुसार भरा जाएगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या-26 से 50 तक अथवा 51 से 75 तक अथवा 76 से 100 तक, किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरा जाएगा। बिन्दु संख्या-1, 26, 51 और 76 का आरक्षित रखने का उद्देश्य प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरे जाने का है।

(ड.) इस बात की सम्भावना है कि बिन्दु संख्या-1 से 25 तक कोई भी रिक्ति, दिव्यांगता से ग्रस्त किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो, तो उस स्थिति में बिन्दु संख्या-26 से 50 तक 02 रिक्तियाँ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। यदि बिन्दु संख्या 26 से 50 तक की रिक्तियाँ, किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हो तो बिन्दु 51 से 75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियाँ आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि रोस्टर के किसी खण्ड विशेष में कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती हो तो वह रिक्ति रोस्टर के अगले खण्ड में ले जायी जायेगी।

(च) रोस्टर के सभी 100 बिन्दु पूरे होने के पश्चात् 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

(छ) यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक खण्ड (25 रिक्तियाँ) अथवा दो खण्ड (50 रिक्तियाँ) ही आच्छादित हैं तो दिव्यांग श्रेणियों के व्यक्तियों का समायोजन रोस्टर बिन्दु के अनुसार होना चाहिए। परन्तु यदि उक्त रिक्ति किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए चिन्हित नहीं है, तो इसका विवेकाधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाय तथा इस बात का निर्णय पद के स्वरूप, संबंधित ग्रेड/पद इत्यादि में दिव्यांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जायेगा।

(ज) समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में आरक्षण का निर्धारण, केवल उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों की रिक्तियों के आधार पर ही किया जाएगा। अधिष्ठानों में समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों के लिए अलग-अलग रोस्टरों का रख-रखाव किया जाएगा। समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों के लिए रखे गये रोस्टरों में चिन्हित किये गये पदों में होने वाली सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों की प्रविष्टि की जाएगी और ऊपर वर्णित तरीके के अनुसार ही आरक्षण लागू किया जायेगा।

13. सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की आपसी अदला-बदली और अग्रणीत किया जाना

यदि किसी चयन वर्ष में अथवा अन्य किसी युक्ति-युक्त कारण से दिव्यांगता से ग्रस्त उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण अनभरी रह जाती है तो उसे अगामी चयन वर्ष के लिए अग्रणीत कर दिया जायेगा। यदि आगामी चयन वर्ष में भी दिव्यांग श्रेणी का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उसे दिव्यांगता की निम्नलिखित 04 श्रेणियों में से प्रथमतः 01 प्रतिशत प्रत्येक श्रेणी के आधार पर आपसी अदला-बदली से भरा जाएगा:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि ;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास ;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बीनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता ;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है;

1) यदि कोई पद दिव्यांगजनों की चार श्रेणियों के लिए चिन्हित है और उक्त पद हेतु किसी एक श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे अन्य तीन श्रेणियों के अभ्यर्थियों में से किसी से भी भरा जा सकता है। इसी प्रकार यदि दो श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसे अन्य दो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

श्रेणियों के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है, इसी प्रकार यदि तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसे चतुर्थ श्रेणियों के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात् भी, यदि दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा उसके पश्चात् वह रिक्ति व्यपगत (lapse) समझी जायेगी।

2) जहाँ दिव्यांगता हेतु चिन्हित उपयुक्त श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो या अन्य किसी उपयुक्त कारण से दिव्यांगजन हेतु चिन्हित श्रेणी की रिक्ति भरा जाना सम्भव न हो, तो उक्त रिक्ति आगामी चयन वर्ष के लिए अग्रणीत कर दी जायेगी। यदि आगामी चयन वर्ष में भी दिव्यांगजन हेतु चिन्हित श्रेणी का उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उक्त रिक्ति को सर्वप्रथम निम्नलिखित चार श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी को एक प्रतिशत के अनुसार अदला-बदली द्वारा भरा जायेगा :-

(क)

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि ;

(ख)

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास ;

(ग)

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता ;

(घ)

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता ;

(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है;

3) उपर्युक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात् भी यदि दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो उसे दिव्यांग श्रेणी से भिन्न किसी अन्य श्रेणी से भरा जा सकता है।

4) यदि पद/रिक्ति की प्रकृति ऐसी हो जिस पर चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी की नियुक्ति न की जा सकती हो तो ऐसी रिक्तियों को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० शासन की पूर्वानुमति से दिव्यांगजन की उपर्युक्त 04 श्रेणियों में से परस्पर बदले जा सकते हैं।

5) यदि कोई रिक्ति दिव्यांग श्रेणी के उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभाव में अथवा अन्य किसी उपयुक्त कारण से भरी नहीं जा सकती है, तो ऐसी रिक्ति आगामी चयन के लिए 'बैकलॉग आरक्षित रिक्ति' के रूप में अग्रणीत कर दी जाएगी।

6) आगामी चयन वर्ष में उक्त बैकलॉग आरक्षित रिक्ति दिव्यांगजन हेतु चिन्हित उसी श्रेणी के लिए आरक्षित मानी जायेगी, जिसके लिए वह पूर्व वर्ष में आरक्षित थी। यदि चिन्हित श्रेणी का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे दिव्यांगता की चिन्हित अन्य श्रेणी से अदला-बदली कर भरा जा सकता है। उपर्युक्त के बाद भी यदि उपयुक्त अभ्यर्थी के अभाव में दिव्यांगता हेतु चिन्हित श्रेणी से उक्त रिक्ति नहीं भरी जा सकती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त रिक्ति को दिव्यांगता हेतु चिन्हित श्रेणी से भिन्न किसी अन्य श्रेणी से भरा जा सकता है। यदि किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए चिन्हित रिक्ति दिव्यांगता से ग्रस्त अन्य श्रेणी से अदला बदली के आधार पर भरी जाती है तो वह आरक्षण से भरी हुई मानी जाएगी किन्तु यदि उक्त रिक्ति दिव्यांगता से भिन्न किसी श्रेणी से भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में दिव्यांग हेतु चिन्हित रिक्ति को आगामी 02 चयन वर्षों के लिए अग्रणीत कर लिया जायेगा। उक्त के पश्चात् भी वह रिक्ति उपयुक्त दिव्यांग अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण अनभरी रह जाती है, तो व्यपगत (lapses) समझी जायेगी।

7) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता की किसी श्रेणी हेतु चिन्हित पद की अदला-बदली (Interchange) तभी किया जायेगा, जब दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित रिक्ति को भरे जाने के सम्बन्ध में भर्ती की समस्त प्रक्रियाएं/विज्ञापन व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की गई हो।

8) दिव्यांग श्रेणी की रिक्तियों के व्यपगत होने की संख्या कम से कम हो, इसके लिए दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त किसी अभ्यर्थी की गणना सर्वप्रथम उस अतिरिक्त कोटे के सापेक्ष तिथि के क्रमानुसार की जायेगी, जो पूर्व के वर्षों से अग्रणीत (यदि कोई हो) की गई हो। यदि दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित समस्त रिक्तियों हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में सबसे पुराने अग्रणीत पद को पहले भरा जायेगा तथा वर्तमान रिक्ति यदि भरी न जा सके तो अग्रणीत किया जायेगा बशर्त दिव्यांग श्रेणी हेतु चिन्हित रिक्तियों, जिसमें अग्रणीत की गई रिक्तियों भी सम्मिलित हैं, को सभी प्रतिभागियों की सूचना हेतु प्रथमतः घोषित (announced) की जायेगी।

14. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होरिजेंटल आरक्षण

पिछड़े वर्गों के नागरिकों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है और दिव्यांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को होरिजेंटल आरक्षण कहा जाता है। होरिजेंटल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते हैं। (जिसे इंटरलाकिंग आरक्षण कहा जाता है) और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में से चुने गये व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए बनाये गये रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी दिये गये वर्ष में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियाँ आरक्षित हैं और नियुक्त किये गये दो दिव्यांग व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के दिव्यांग उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित किया जाएगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा जाएगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती है तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुसूचित जाति का दिव्यांग उम्मीदवार, भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा।

चूंकि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बनाये गये आरक्षण रोस्टर में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी में उपयुक्ततः रखा जाना होता है अतः दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना अपेक्षित होगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी में से किस श्रेणी से सम्बद्ध हैं।

15. आयु सीमा में छूट

शासनादेश संख्या-18/1/2008(II)/का-2, दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख' और समूह 'ग' तथा 'घ' की सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(II) आयु सीमा में उक्त छूट लागू रहेगी भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं, बशर्ते कि पद दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिह्नित किया गया हो।

16. उपयुक्तता मानदण्डों में छूट

यदि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाय बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। किन्तु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित सामान्य मानदण्डों में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु चाहे वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा सामान्य से सम्बन्धित हों, एक समान शिथिलता प्रदान की जायेगी, श्रेणीवार पृथक-पृथक शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

17. स्वास्थ्य परीक्षा

पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली के संबंधित नियम के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नये व्यक्ति को अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति की, एक विशिष्ट प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किये जाने हेतु उपयुक्त समझे गये पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्साधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व से सूचित किया जाएगा कि यह पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किये जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

18. परीक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क से छूट

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में विहित आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो अन्यथा इस पद के लिए निर्धारित चिकित्सकीय उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर नियुक्ति के पात्र होते (दिव्यांग व्यक्तियों को दी गयी किन्हीं विशिष्ट छूटों सहित) और जो अपनी दिव्यांगता की दावेदारी की पुष्टि के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हैं।

19. रिक्तियाँ हेतु नोटिस

किसी निर्धारित पद पर दिव्यांग व्यक्तियों को नियुक्ति का उचित अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में, रोजगार केन्द्रों, बोर्डों, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उ०प्र० लोक सेवा आयोग आदि को नोटिस भेजते समय तथा ऐसी रिक्तियों की विज्ञप्ति करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाय:-

(I) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व-सैनिक/दृष्टिहीनता और कम दृष्टि/बधिर और श्रवण शक्ति में हास/ प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता/स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता/खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्टतः दर्शायी जानी चाहिए।

(II) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किये गये पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाय कि संबंधित पद (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों जैसा भी मामला हो के लिए चिन्हित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है, आवेदन करने की अनुमति है भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(III) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामलों में जिन्हें दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो, चाहें रिक्तियाँ आरक्षित हों या न हों, यह उल्लेख किया जाय कि सम्बद्ध पद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सम्बद्ध दिव्यांगता की श्रेणियों यथा (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंग धात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ.) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जाय।

(IV) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 के प्रस्तर-8 के अनुसार यह भी दर्शाया जाय कि संगत दिव्यांगता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगे।

20. मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्राविधानों का सही सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मांगकर्ता प्राधिकारी, उ०प्र० लोक सेवा आयोग, आदि, के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग-पत्र भेजते समय उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) तथा दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियाँ 100 बिन्दु आरक्षण रॉस्टर के चक्र संख्या..... के बिन्दु संख्या..... पर आती हैं और उनमें से रिक्तियाँ दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

दिव्यांगजन आरक्षण हेतु निर्धारित रिक्ति के सापेक्ष मौलिक नियुक्ति प्रदान करने के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी दिव्यांगजन आरक्षण का लाभ पाने का पात्र है।

21. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

(I) प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी के तत्काल पश्चात् प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपने प्रशासनिक विभागों को निम्नलिखित रिपोर्ट भेजेंगे:

(क) संलग्नक- II में दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट जिसमें वर्ष की प्रथम जनवरी को कर्मचारियों की कुल संख्या, ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये हों तथा (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंग धात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ.)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता; से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्नक- III) में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-II जिसमें पिछले कैलेंडर वर्ष में (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि ; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास ; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता ; (ड.) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा वस्तुतः नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया जाएगा।

(II) प्रशासनिक विभाग, उनके अन्तर्गत आने वाले सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से मिलने वाली जानकारी की जांच करेंगे तथा उनके अधीन सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी सहित संबंधित विभाग के संबंध में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-1 तथा पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-II को निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक दिव्यांग कल्याण विभाग को भिजवाएंगे।

(III) दिव्यांग कल्याण विभाग को उपर्युक्त रिपोर्ट भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायें:-

(क) दिव्यांग कल्याण विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सांविधिक, अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में रिपोर्ट नहीं भेजी जाए। सांविधिक, अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकाय निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर समेकित जानकारी अपने प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे जो अपने स्तर पर उनकी जांच, मानीटरिंग तथा अनुरक्षण करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में ऐसी जानकारी एकत्रित करना सार्वजनिक उद्यम विभाग से अपेक्षित है।

(ख) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय केवल अपने प्रशासनिक विभागों को अपनी जानकारी भेजेंगे तथा वे इसे इस विभाग को सीधे नहीं भेजेंगे।

(ग) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों में आरक्षण के आधार पर नियुक्त व्यक्ति एवं अन्यथा नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

(घ) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) रिपोर्ट-1 का संबंध व्यक्तियों से है न कि पदों से। अतः इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय रिक्त पदों आदि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर गये व्यक्तियों को उस विभाग/कार्यालय के अधिष्ठान में शामिल करना चाहिए जहाँ उन्हें लिया गया हो न कि मूल अधिष्ठान में किसी एक ग्रेड में स्थायी किन्तु स्थानापन्न अथवा उच्च ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को संबंधित सेवा की उच्च ग्रेड से संबंधित श्रेणी के आंकड़ों में शामिल किया जाएगा।

22. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी:

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

नियुक्त नोडल अधिकारी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे।

23. दिव्यांगजन की शिकायतों के निवारण हेतु व्यवस्था:

- i. प्रत्येक विभाग द्वारा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) की नियुक्ति की जायेगी।
- ii. शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) द्वारा दिव्यांगजन की शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा जिनमें निम्नलिखित विवरण होंगे:-
 - (क) शिकायत की तिथि
 - (ख) शिकायतकर्ता का नाम
 - (ग) विभाग/अधिकारी का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है
 - (घ) शिकायत का सार
 - (ङ) शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) द्वारा शिकायत निस्तारण की तिथि
 - (च) अन्य विवरण
- iii. नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भेद-भाव से क्षुब्ध/असंतुष्ट कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सम्बन्धित शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
- iv. शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) द्वारा उक्त शिकायत की 02 माह के अंदर 02 जांच की जायेगी तथा उसके निष्कर्षों से शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

अतः सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों को लायेंगे। दिव्यांगजन को पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 एवं शासनादेश संख्या-7/18/1/2008/का-2/2015, दिनांक 28.07.2015 में की गई व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 5/2022/18/1/2008(1)/47/का-2/2022. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
13. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मल कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

निर्देशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-।

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

[illegible]

संलग्नक- II

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से सम्बन्धित (पी.डब्ल्यू.डी.) रिपोर्ट- I
विवरण विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण (वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार)

विभाग सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय

समूह	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल	उपयुक्त चुने गये पदों में	दृष्टिहीनता और कम दृष्टि	बधिर और श्रवण शक्ति में हास	प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
समूह "क"							
समूह "ख"							
समूह "ग"							
समूह "घ"							

संलग्नक- III

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से सम्बन्धित (पी.डब्ल्यू.डी.) रिपोर्ट- II वर्ष के दौरान नियुक्ति किये गये विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (वर्ष के सम्बन्ध में)

विभाग संबंध/अधीनस्थ कार्यालय

समूह	सीधी भर्ती											पदोन्नति												
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या (श्रेणीवार)					की गयी नियुक्तियों की संख्या (श्रेणीवार)						आरक्षित रिक्तियों की संख्या (श्रेणीवार)					की गयी नियुक्तियों की संख्या (श्रेणीवार)							
	a.	b.	c.	d.	e.	कुल	उपयुक्त चुने गये पदों में	a.	b.	c.	d.	e.	a.	b.	c.	d.	e.	कुल	उपयुक्त चुने गये पदों में	a.	b.	c.	d.	e.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
समूह क																								
समूह ख																								
समूह ग																								
समूह घ																								

टिप्पणी- कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक - 18 अप्रैल, 2022 के प्रस्तर-7 (विकलांगता की परिभाषा) में उल्लिखित स्थिति के अनुसार निम्नवत् श्रेणियों को परिभाषित किया गया है :-

- दृष्टिहीनता और कम दृष्टि,
- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास
- प्रमस्तिष्कीय अंग घात उपचारित कुष्ठ, बौनापन एसिड, आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता,
- स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता
- खण्ड (a) से (d) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

FORM- I
Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

- (1) Name : _____
(Surname) (First Name) (Middle Name)
- (2) Father's Name : _____ Mother's Name: _____
- (3) Date of Birth : _____ / _____ / _____
(Date) (Month) (Year)
- (4) Age at the time of application : _____ years
- (5) Sex: Male/Female/Transgender _____
- (6) Address:
(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

(c) Period since when residing at current address _____
- (7) Educational Status (please tick as applicable)
- (i) Post Graduate
 - (ii) Graduate
 - (iii) Diploma
 - (iv) Higher Secondary
 - (v) High School
 - (vi) Middle
 - (vii) Primary
 - (viii) Non-literate
- (8) Occupation _____
- (9) Identification marks (i) _____ (ii) _____
- (10) Nature of disability :
- (11) Period since when disabled: From Birth//since year _____
- (12) (i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ yes/no
- (ii) If yes, details:
- (a) Authority to whom and district in which applied _____
(b) Result _____ of _____ application
- (13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :

Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).

- (a) ration card,
- (b) voter identity card,
- (c) driving license,
- (d) bank passbook,
- (e) PAN card,
- (f) passport,
- (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
- (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,

(i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth
(DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No.
_____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street
_____ Post Office _____ District _____ State _____,
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor
disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines
(.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate .

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

(Dr. _____)

Chairperson
Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

Form - III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -

In figures : ----- percent

In words : ----- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

Form -IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum _____ son/wife/daughter of Shri

_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____

_____ Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____

permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____

Post Office _____ District _____ State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of
_____ disability. His/her extent of percentage physical
impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the
guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued